

राजकुमार - माहती देवी मुं. नं. 16/2014

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

26/01/18 पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रिस्पोंडेंट परिस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 25/1/18 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 28/1/18 को पेश हो।



28/1/18 पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच नै आज न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 26/4/19 को पेश हो।

26-4-19 पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रिस्पोंडेंट परिस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 25/1/18 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 30/7/19 को पेश हो।



30-7-19 पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रिस्पोंडेंट परिस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 25/1/18 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 30/10/19 को पेश हो।

30/10/19

पत्रावली पेश। अपीलांट/रिस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रभावहीन हो कर खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास में दर्ज करके पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर नये तारखीव तकमील दाखिल दफतर हो।

पुनः प्रवेश अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी
दौकन